

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या: 04/2023)


तत्काल प्रकाशन के लिए

'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर भा.दू.वि.प्रा. के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 18 जनवरी 2023: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.) ने 23 दिसंबर, 2022 को 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2023 तथा प्रति-टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी 2023 निर्धारित की गयी थी।

2. उद्योग संघ के टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और प्रति- टिप्पणियों प्राप्त करने की अंतिम तिथि को क्रमशः 10 फरवरी, 2023 और 24 फरवरी, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbbpa@traigov.in पर भेजी जा सकती हैं, जिसकी एक प्रति jtadvbpa-1@traigov.in पर भी भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), भा.दू.वि.प्रा. से दूरभाष नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।


(राजीव सिन्हा) 18/01/2023

सचिव प्रभारी, भा.दू.वि.प्रा.